इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 19, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 1-11-2011-आठ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**15—क सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से लिपिकवर्गीय सेवा से परिवहन उप निरीक्षक के पद पर चयन द्वारा सीधी भर्ती :—** (1) परिवहन आयुक्त के कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय की लिपिकवर्गीय सेवा में से परिवहन उप निरीक्षक के पदों को चयन द्वारा भरने के लिए अनुसूची—पांच में अधिकथित स्कीम के अनुसार, ऐसे समय पर, जैसा अवधारित किया जाए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, जारी किये गए आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर,

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम, उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए उपयुक्त अभ्यर्थियों की एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि अनुसूची–पांच में अधिकथित किया गया है, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हों फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हों, योग्यता क्रम से एक सूची बनाई जाएगी। यह सूची इसे अंतिम रूप से तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी।

(5) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हैं।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(8) सूची, समिति द्वारा उसे जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

15–ख चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची :– (1) चयन समिति, ऐसे स्तर से, जैसा कि समिति अवधारित करे, अर्हित अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में बनाई गई सूची, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हों, फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हों, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाएगी,

(2) इन नियमों के तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों,

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है,

(4) ऐसे सफल अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवहन उप निरीक्षक, के रूप में नियुक्त किया गया हो, छह मास का शारीरिक प्रशिक्षण, जैसा कि विहित किया जाए, प्राप्त करना होगा।

2. अनुसूची चार के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात् :-

"अनुसूची-पांच

(भर्ती का तरीका)

(नियम 15-क देखिए)

(परिवहन उप - निरीक्षकों के पदों को परिवहन विभाग की लिपिकवर्गीय सेवा में से सीमित परीक्षा द्वारा भरने के लिए स्कीम)

1. **नाम** - इस स्कीम का नाम परिवहन उप निरीक्षकों के पदों को, परिवहन विभाग की लिपिकवर्गीय सेवा में से चयन द्वारा भरने के लिए स्कीम है।

2. **पात्रता** - परिवहन विभाग की लिपिकवर्गीय सेवा के केवल ऐसे सदस्य इस स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :-

(एक) जो परिवहन विभाग में परिवहन आयुक्त के कार्यालय में तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में किसी लिपिकवर्गीय पद पर कम से कम पांच वर्ष से स्थायी अथवा स्थानापन्न हैसियत में कार्य कर रहे हों।

(दो) जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(तीन) जिसकी आयु, उस वर्ष की, जिसमें कि चयन किया जाना है, पहली जनवरी को 45 वर्ष से अधिक न हो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(चार) जो निम्नलिखित शारीरिक प्रमाप रखता हो, अर्थात् :-

(क) सामान्य वर्ग के लिए ऊंचाई 1.68 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा सीने का माप बिना फुलाए 81 से.मी. तथा फुलाकर 86 से.मी. से कम नहीं होना चाहिए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ऊंचाई 1.60 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा सीने का माप बिना फुलाए 76 से.मी. तथा फुलाकर 81 से.मी. से कम नहीं होना चाहिए।

सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिये ऊचाई 1.58 मीटर से कम नही होनी चाहिये। (सीने का माप महिलाओं के लिये लागू नही)

(ख) सामान्य दृष्टि (चश्मे या चश्मे के बिना) होना चाहिए तथा उसे वर्णान्ध (कलर ब्लाइंड) नहीं होना चाहिए, उसमें विभिन्न रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए।

3. **चयन** – नियुक्ति के लिए चयन –

(एक) इस स्कीम के अधीन ली जाने वाली लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों; तथा

(दो) संबंधित कर्मचारी के पिछले पांच वर्षों की चरित्रावली

के मूल्यांकन पर आधारित होगा।

4. **परीक्षा.**–

(एक) एक लिखित परीक्षा प्रतिवर्ष या ऐसे अंतरालों पर ऐसी तारीख पर तथा ऐसे स्थान पर होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार से परामर्श करके या अनुमोदन प्राप्त कर विनिश्चत किया जाए।

(दो) लिखित परीक्षा में दो प्रश्न–पत्र होंगे, प्रत्येक 50 अंकों का तथा ढाई घंटे की अवधि का होगा, अभ्यर्थी को सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न–पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होंगे।

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार से परामर्श करके या अनुमति प्राप्त कर प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे तथा उसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगेः–

प्रथम प्रश्न–पत्र

सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा प्रारंभिक अंकगणित, कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान

द्वितीय प्रश्न–पत्र

सरकारी सेवा से संबंधित सामान्य नियमों का ज्ञान, परिवहन विभाग में उपयोग की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) तथा उसके अधीन बनाए गए विभिन्न नियमों, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का संक्षिप्त ज्ञान।

(चार) प्रश्न–पत्रों के लिए पाठ्यक्रम उपाबंध–एक में होगा।

(पांच) केवल वे ही कर्मचारी, जो उपरोक्त पैरा 2 में अधिकथित अर्हताएं पूर्ण करते हैं, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और उनमें से केवल उन अभ्यर्थियों को, जो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र पाए जाएं, परीक्षा की तारीख, समय तथा स्थान सूचित किया जाएगा। उस जिले के सिविल सर्जन का, जहां पर कर्मचारी कार्य कर रहा हो, कर्मचारी की शारीरिक योग्यता तथा ऊंचाई तथा छाती की माप के संबंध में प्रमाण–पत्र जो कि पैरा 2 (क) (चार) के अधीन उसकी पात्रता का निश्चायक सबूत होगा, परीक्षा के आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा।

(छह) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार से परामर्श करके या अनुमोदन प्राप्त करके नामनिर्दिष्ट अन्य सरकारी संस्थाओं जैसे प्रशासन अकादमी द्वारा किया जाएगा।

(सात) ऐसे कर्मचारियों की, जिन्होने प्रत्येक प्रश्न–पत्र में पृथक् पृथक् कुल 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों, एक सूची तैयार की जाएगी।

5. **मूल्यांकन/चयन सूची**

(एक) उन कर्मचारियों की, जिनके नाम ऊपर पैरा 4 (सात) के अनुसार तैयार की गई सूची में आए हों, पांच वर्ष की गोपनीय चरित्रावली का अनुसूची–चार के कॉलम (5) के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा परिवहन उप निरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।

(दो) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष की चरित्रावली के लिए 20 अंकों में से निम्नलिखित आधार पर अंक दिए जाएंगे :–

उत्कृष्ट	**20**
बहुत अच्छा	**18**
अच्छा	**15**
साधारण	**10**

(तीन) प्रत्येक कर्मचारी की चरित्रावली के आधार पर 100 अंकों में से दिए गए कुल अंकों को, उसके द्वारा परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के सामने रखा जाएगा और अभिप्राप्त कुल अंकों का योग किया जाएगा।

(चार) परीक्षा में तथा चरित्रावली के मूल्यांकन में अभिप्राप्त कुल अंकों के अनुसार चयन की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। लिपिकवर्गीय सेवा के कोटे के पद के विरूद्ध परिवहन उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति, उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में उनके नाम आए हों।

(पांच) स्कीम के अधीन परिवहन उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उपरोक्तानुसार तैयार की गई अंतिम चयन सूची में दी गई ज्येष्ठता पर आधारित होगी।

6. **परिवीक्षा** – इस स्कीम के अधीन नियुक्त किए गए प्रत्येक कर्मचारी को दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस कालावधि के दौरान उसे पद के लिए विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षा, यदि विहित की गई हो तो, उत्तीर्ण करना होगी। यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान कोई कर्मचारी परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाए तो उसे उसके मूल लिपिकवर्गीय पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। लिपिकवर्गीय पद पर प्रत्यावर्तित होने पर ऐसे प्रत्यावर्तित कर्मचारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि के दौरान की गई सेवा की कालावधि को उसके लिपिकवर्गीय पद पर व्यतीत की गई सेवा की कालावधि के रूप में माना जाएगा।

उपाबंध एक

प्रश्न–पत्रों का पाठ्यक्रम

प्रश्न–पत्र–एक (कुल अंक 50)

(एक) सामान्य ज्ञान (10 अंक) :

सामयिक घटनाओं से संबंधित सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा उससे संबंधित विषय, मध्यप्रदेश के संबंध में सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न।

(दो) सामान्य हिन्दी (10 अंक) :

10–12 पंक्तियों की संक्षेपिका पर आधारित संक्षिप्त प्रश्न, समान शब्दों के बीच अन्तर, किसी भी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध (विचारों की अभिव्यक्ति)।

(तीन) प्रारंभिक अंक गणित (20 अंक)

गुणा, भाग, दशमलव, भिन्न, प्रतिशतता, लाभ और हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, परिमाण, अनुपात।

(चार) कम्प्यूटर पर कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान (10 अंक)

माइक्रोसाफ्ट वर्ड, पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन, एक्सेल, इंटरनेट व ई–मेल। विभाग में कम्प्यूटराईजेशन करने वाली संस्था द्वारा व्यावहारिक परीक्षा ली जाएगी।

प्रश्न–पत्र दो (कुल अंक 50)

(एक) शासकीय सेवा से सम्बन्धित नियमों का ज्ञान (20 अंक)

वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि स्कीम से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान, सेवा में भरती से संबंधित नियमों का सामान्य ज्ञान, सरकारी सेवकों के आचरण से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान।

(दो) परिवहन पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान (10 अंक)

विभाग में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न परिवहन पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, जिसका कोई विशेष अर्थ होता है।

(तीन) विभाग से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का ज्ञान (20 अंक) :

(क) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) तथा उसके अधीन बनाए गए विभिन्न नियम;

(ख) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989;

(ग) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991);

(घ) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991;

(ङ) मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994.

टिप्पणी :– प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ प्रणाली से सेट किए जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रणाली में प्रश्न–पत्र सेट करने की प्रज्ञापना, यदि ऐसा विनिश्चित किया जाए, तो विज्ञापन में दी जाएगी। "।

No. F-01-11/2011-VIII In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in The Madhya Pradesh Transport Department Sub-ordinate (Class-III Executive) Service Recruitment Rules, 2011, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. After rule 15, the following rules shall be inserted, namely:—

"**15.-A. Direct recruitment by selection to the post of Transport Sub-Inspector from Ministerial Service through limited competitive examination.-** (1) For filling up the posts of Transport-inspector by selection from amongst the ministerial services of the office of the Transport Commissioner and subordinate officer under him, the appointing authority shall hold annually, at such time, as may be determined a limited competitive examination in accordance with the scheme laid down in schedule-V.

(2) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provision contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon ke Liye Aarakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and order issue by the State Government form time to time.

(3) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in order in which their names appear in the list referred to in sub-rule (1) irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) A list of suitable candidates recommended for appointment.- arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as has been laid down in schedule V and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes who though not qualified by that standard but are declared by the selection committee/Appointing Authority to be suitable for the appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration shall be prepared. This list shall be valid for one year from the date of final preparation.

(5) Subject to the provision of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment on the available vacancies in the order of their names in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment, unless the Appointing Authority is satisfied, after such inquiry, as may considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) 30 percent of posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(8) The list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the committee.

15-B. List of Candidates recommended by the Selection Committee.—(1) The selection committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as the committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right of appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The successful candidate appointed as Transport Sub-Inspector by the Appointing Authority shall have to undergo six months physical training as may be prescribed.".

2. After Schedule-IV, the following schedule shall be added, namely:-

"Schedule-V
Method of recruitment
(See rule 15-A)

(Scheme for filling up posts of Transport Sub-Inspectors by limited competitive examination from amongst the ministerial services of the Transport Department.)

1. Title.–This scheme may be called a scheme to fill-up the post of Transport Sub-Inspector by selection from amongst the ministerial services of the Transport Department.

2. Eligibility.– Only such members of ministerial services of the Transport Department shall be eligible for getting the benefit of this scheme who possess the following qualifications, namely :—

(i) Who have been working on any ministerial post in the office of the Transport Commissioner and his sub-ordinate offices in the Transport Department for at least five years in permanent or officiating capacity.

(ii) Who have passed Graduation or equivalent examination from any recognized university and have obtained certificate of knowledge of computer from an institution recognized by the Government.

(iii) Whose age, on the first January of that year in which selection is to be made, does not exceed 45 years; maximum age limit for employees belonging to Schedule Castes and Schedule Tribes will be 50 years.

(iv) Who possess the following physical standard, namely :—

(a) Height for General Category should not be less than 1.68 metre and chest measurement not less than 81 centimetre unexpanded and expanded 86 centimetre;

Height for the category of the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes should not be less than 1.60 metre and chest measurement should not be less than 76 centimetre unexpanded and 81 centimetre expanded;

Height for the women candidates of all categories should not be less then 1.58 metre (chest measurement will not be aplicable for women candidates)

(b) Normal vision (with or without spectacles) and should not be colour blind. Should have the ability to identify different colours.

3. Selection.– Selection for appointment shall be based on.–

(i) Marks obtained at the written examination held under this scheme; and

(ii) Appraisal of the character roles of the employee concerned for the last five years.

4. Examination.–

(i) There shall be an written examination every year or at such intervals, on such date and at such place as may be decided by the Appointing Authority in consultation with or with the approval of the Government.

(ii) In the written examination there will be two question papers, each of 50 marks and of 2 hours duration. A candidate in order to be successful must obtain at least 50% marks in each paper.

(iii) Question papers shall be set up by the Appointing Authority in consultation or by obtaining permission of the Government and shall be cover the following subject:-

Question Paper-I

General Knowledge, General Hindi and Elementary Arithmetic, Knowledge of computer

Question Paper – II

Knowledge of ordinary rules relating to the Government service, Knowledge of terminology used in Transport Department and brief introductory knowledge of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and the different rules made there under, brief knowledge of the Madhya Pradesh Motoryaan Karadhan Adhiniyam,1991 (No. 25 of 1991) and the rules made there under.

(iv) Syllabus for the question paper shall be set out in Annexure-1.

(v) Only those employees who fulfill the qualifications laid down in para 2 above shall be eligible to appear at the examination. Application from employees desirous of appearing at the examination shall be invited by the Appointing Authority and out of them only those who are found eligible to

appear in the examination shall be informed of the date, time and place of the examination. A certificate from the Civil Surgeon of the district where an employee is working regarding employees physical fitness and measurement of height and chest which shall be the conclusive proof of his eligibility under para 2 (a) (iv) above must be enclosed with the application for examination.

(vi) Evaluation of answer books will be done by the Officers of the Transport Department or other Government institutions, such as Administrative Academy nominated by the Appointing Authority in consultation with or obtaining approval of the Government.

(vii) A list of employees who obtain 50% or more total in each paper separately shall be prepared.

5. Evaluation/Selection list –

(i) Confidential character roles of five years of those employees whose names appear in the list prepared as per para 4 (vii) above shall be appraised by the Departmental Promotion Committee as per column (5) of Schedule IV for recruitment to the post of Transport Sub-Inspector.

(ii) Each such employee shall be assigned marks out of 20 marks for each year character roles on the following basis :-

Outstanding	–	20
Very Good	-	18
Good	-	15
Ordinary	-	10

(iii) Total marks assigned to each employee on the basis of character rolls out of 100, shall be posted against the marks obtained by him at the examination and total of the marks obtained will be posted.

(iv) Final list of selection shall be prepared according to the total number of marks obtained at the examination and in the appraisal of the character rolls. Appointment to the post of Transport Sub-Inspector against the post of ministerial service quota shall be made in order in which the names appear.

(v) The inter-se-seniority of the ministerial employees appointed as Transport Sub-Inspector under the scheme shall be based on the seniority given in the final list of selection prepared as above.

6. Probation – Every employee appointed under this scheme shall be on for two years probation. During this period, he will have to undergo training prescribed for the post and pass the departmental examination, if prescribed. If an employee is not found suitable for the post of Transport Sub-Inspector during the probationary period, he may be reverted to his original ministerial post. On reversion to the ministerial post the period of service rendered during the probationary period of such reverted employees shall be treated as period of service spent on his ministerial post.

Annexure – I
Syllabus of Question Papers
Question Paper – 1 (Total Marks 50)

(i) **General Knowledge (10 marks)**— Question based on general information relating to current events, Indian History, Indian Geography and related topics. Questions based on general information about Madhya Pradesh.

(ii) **General Hindi (10 marks)**- Brief question based on a précis of 10-12 lines, difference between similar words, Essay (expression of thoughts) on any one subject in about 150 words.

(iii) **Elementary Arithmetic (20 marks)**— Multiplication, division, decimal fractions, percentage, profit and loss, average, area, volume, Value, proportion.

(iv) **Practical knowledge of working on computer (10 marks)**- Microsoft word, Power-point presentation, Excel, Internet, Email. The practical examination shall be conducted by the institution which is doing the computerization of department.

Question Paper – II (Total Marks 50)

(i) Knowledge of Government service rules (20 marks)— Introductory knowledge of rules relating to pay, allowance, leave, General Provident Fund Scheme, General Knowledge of rules of recruitment in service, introductory knowledge of rules relating to conduct of a Government Servant.

(ii) Knowledge of Transport terminology (10 marks)— Knowledge of different designations of the posts which is used in the Department which carry specific meanings.

(iii) Knowledge of Act and Rules relating to department (20 marks)—

(a) Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and the different rules made thereunder;

(b) Central Motor Vehicle Rules, 1989;

(c) Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991);

(d) Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Niyam, 1991;

(e) Madhya Pradesh Motoryan Niyam, 1994.

Note- Question papers can be set up in subjective system intimation about setting of papers in objective system shall be given in advertisement, if so decided.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.